(ए0 एफ0 आर0)
(सुरक्षित तिथि 3–12–2021)
(उद्घोषित तिथि 12–1–2022)

1–दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन पत्र संख्या **20529** वर्ष **2021**

नीरज मण्डल उर्फ राकेश ——————— आवेदक

प्रति

राज्य उत्तर प्रदेश —————— विपक्षी

सम्बद्ध

2–दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन पत्र संख्या **19926** वर्ष **2021**

तपन मण्डल ——————— आवेदक

प्रति

राज्य उत्तर प्रदेश —————— विपक्षी

3– दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन पत्र संख्या **21132** वर्ष **2021**

शूबो शाह उर्फ सुभाजीत ————————— आवेदक

प्रति

राज्य उत्तर प्रदेश —————————— विपक्षी

4–दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन पत्र संख्या **21208** वर्ष **2021**

तौसीफ जमा —————————— आवेदक

प्रति

राज्य उत्तर प्रदेश ————————— विपक्षी

माननीय शेखर कुमार यादव, न्यायमूर्ति

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत **आवेदन पत्र संख्या 20529 वर्ष 2021,**आवेदक नीरज मण्डल उर्फ राकेश, दाण्डिक प्रकीर्ण **जमानत आवेदन पत्र संख्या 19926 वर्ष 2021,** आवेदक तपन मण्डल, दाण्डिक प्रकीर्ण **जमानत आवेदन पत्र संख्या 21132 वर्ष 2021,** आवेदक शूबो शाह उर्फ सुभाजीत एवं दाण्डिक प्रकीर्ण **जमानत आवेदन पत्र संख्या 21208 वर्ष 2021,**आवेदक

तौसीफ जमां द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 407 वर्ष 2020, अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 भा0 दं0 सं0 एवं धारा 66 (डी) आई0 टी0 एक्ट, थाना कैन्ट, जिला प्रयागराज में जमानत पर मुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

चूँकि उपरोक्त चारों जमानत आवेदन पत्र एक ही घटनाक्रम एवं अपराध से सम्बन्धित है। अतएव उपरोक्त चारों जमानत आवेदन पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जाता है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्रीमती पूनम श्रीवास्तव ने एक प्राथमिकी दिनाँक 8–12–2020 को थाना कैण्ट, जनपद प्रयागराज में इस आशय से दर्ज करायी गयी कि दिनाँक 4–12–2020 को लगभग दो बजे दोपहर उनके मोबाईल नम्बर 9431115605 जो राँची का है, पर फोन करने वाले ने अपना नाम एस0 एन0 मिश्रा बताया जिस नम्बर से उसने फोन किया था, उसका नम्बर 8573895914 है और जिस Whatsapp नम्बर पर वादिनी का पासबुक, आधार एवं पैन मांगा उसका नम्बर 9669147409 है। इस प्रक्रिया में अभियुक्त द्वारा वादिनी के एस0 बी0 आई0 बैंक खाते से आनलाईन लगभग पाँच लाख रूपये जो अभी संज्ञान में आया है, गबन कर लिया है।

दौरान विवेचना अभियुक्त राजू रंजन पुत्र अशोक भगत, निवासी जनपद देवधर, झारखण्ड, नीरज कुमार मण्डल पुत्र तीरथ नाथ मण्डल जनपद देवधर, झारखण्ड, तपन कुमार मण्डल पुत्र सरकार मण्डल, जिला जामताड़ा, झारखण्ड का नाम प्रकाश में आया तत्पश्चात उनकी गिरफतारी की गयी।

सह–अभियुक्त राजू रंजन पुत्र अशोक भगत ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0 प्र0 सं0 में कहा है कि वह झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक का ग्राहक सेवा केन्द्र चलाता है जो गाँधी चौक पर उसके घर में ही है। मोबाईल नम्बर 7908793022 को उससे अभियुक्त नीरज मण्डल उर्फ राकेश पुत्र तीरथनाथ मण्डल जो गांजा मोड़ थाना चितरा जनपद देवधर झारखण्ड व तपन कुमार मण्डल पुत्र सरकार मण्डल निवासी सुपाई डीह थाना जामताड़ा जिला जामताड़ा, झारखण्ड

बात करते थे लेकिन कुछ समय से बात नहीं करते हैं। तपन मण्डल भी सुपारेड़ी में ग्राहक सेवा केन्द्र चलाता है तथा नीरज मण्डल उर्फ राकेश उसके साथ ही उसके पास आता जाता था लेकिन बाद में उसे पता चला कि नीरज उर्फ राकेश व तपन मण्डल ठीक व्यक्ति नहीं है क्योंकि मण्डल व तपन ने एक बार उससे कहा कि वे लोग लोगों से बात करके उनके बैंक खातों की डिटेल प्राप्त करके अच्छा पैसा कमाते है और यदि वह भी उनके साथ मिलकर काम करेगें तो कोई पकड़ नहीं पायेगा क्योंकि वे लोग फर्जी नाम पता का मोबाईल नम्बर प्राप्त करके उससे कार्य करते है तथा मोबाईल नम्बर 7908793022 की फर्जी पते का ही सिम है। इस पर राजू रंजन ने मना कर दिया तथा तपन ने राजू रंजन के भाई अमित भगत की फर्म जो ट्रेड़िंग सब ब्रोकर का काम करता है, डिमेट एकाउण्ट खोलने के लिए पेपर दिए थे जिसे राजू रंजन ने मना कर दिया कि इनके साथ काम मत करो। नीरज उर्फ राकेश मण्डल व तपन से उसकी बात दिसम्बर के पहले हुई थी। आगे यह भी कहा कि उसे पूरा विश्वास है कि नीरज उर्फ राकेश और तपन मण्डल मिलकर धोखाधड़ी से किसी के खाते से पैसा निकाल लेते हैं। आगे यह भी कहा कि उसका मोबाईल फोन नम्बर 7908793022 आर. जैम 2 के नाम से सेल है।

सह–अभियुक्त नीरज कुमार मण्डल ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0 प्र0 सं0 में कहा है कि उसके पास मोबाईल नम्बर 7908793022 था तथा यह सिम उसे तपन मण्डल जो उसके मामा का बेटा है। फर्जी नाम पता के आधार पर प्राप्त किया हुआ था लाकर दिया था जिसके माध्यम से वह तपन मण्डल व नीरज कुमार उर्फ नीरज सिन्हा मिलकर लोगों के बैंक एकाउण्ट की सूचना प्राप्त करके धोखाधड़ी से पैसा निकाल लेते हैं। आगे यह भी कहा कि दिसम्बर माह में भी उन सभी लोगों ने एक रिटायर जज महिला का पैसा धोखाधड़ी से निकाल लिए थे, जिसमें नीरज सिन्हा ने Yono App के सहारे से पैसा निकाला था। आगे यह भी कहा कि वे तीनों लोग मिलकर अपराध करते हैं। सिम भी दिसम्बर में तपन मण्डल के दुर्घटना में घायल होने के बाद नीरज सिन्हा के पास रह गया था। नीरज

कुमार उर्फ नीरज सिन्हा जनवरी में सिम के साथ राँची साइबर थाना द्वारा पकड़ लिया गया है तथा वर्तमान समय में राँची जेल में निरूद्व है। आगे यह भी कहा कि वे लोग एक साथ मिलकर ही सारा धोखाधड़ी से पैसा निकालने का काम करते हैं।

इसी प्रकार तपन कुमार मण्डल पुत्र सरकार मण्डल ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0 प्र0 सं0 में यह कहा है कि वह झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक का ग्राहक सेवा केन्द्र चलाता था तथा उसकी मुलाकात नीरज कुमार उर्फ नीरज सिन्हा पुत्र विनय किशोर प्रसाद निवासी पाकडीह मोहल्ला बेना थाना जामताड़ा, जिला जामताड़ा झारखण्ड से हुई जो पहले से साइबर अपराध करता था उसी ने बताया कि एक गलत नाम पता का सिम ले आओ तो धोखाधड़ी करके खूब पैसा कमाया जायेगा। आगे यह भी कहा कि एक व्यक्ति घूमकर सिम बेच रहा था जिससे उसने मोबाईल नम्बर 7908793022 नम्बर का सिम खरीदा तथा वह अपने बुआ के लड़के नीरज मण्डल उर्फ राकेश से भी बात किया तो वह भी तैयार हो गया उसने सिम नीरज मण्डल को दे दिया तथा समय समय पर इकट्ठा होकर लोगों से उनके बैंक एकाउण्ट की सूचना प्राप्त करके पैसा निकाल लेते थे। इसी तरह दिसम्बर माह में भी उन लोगों ने एक रिटायर महिला जज के खाते से नीरज सिन्हा के माध्यम से दोनों एस0 बी0 आई0 के खाते से लगभग चार लाख रूपया निकाल लिए थे। नीरज मण्डल उर्फ राकेश तथा नीरज सिन्हा मिलकर ही सारा धोखाधड़ी का कार्य करते हैं जो सिम वह खरीद कर लाया था वह नीरज मण्डल के पास रहता था किन्तु दिसम्बर माह में सात तारीख को उसकी गाड़ी पलट जाने के कारण दुर्घटना में उसे चोट आ गयी थी तब मोबाईल नम्बर 7908793022 नम्बर का सिम नीरज सिन्हा लेकर चला गया था। दुर्घटना के बाद से उसकी मुलाकात नहीं हुई पता चला कि साइबर थाना राँची के मुकदमें में दिनांक 29—1—2021 को पकड़ लिया गया है तथा आज भी राँची में निरूद्व है।

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 20529 वर्ष 2021 में आवेदक नीरज मण्डल उर्फ राकेश की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दीपाकंर चौधरी एवं उनके सहायक के रूप में श्री त्रिपुरारी पाल, **दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 19926 वर्ष 2021** में आवेदक तपन मण्डल के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपांकर चौधरी एवं नासिरा आदिल, **दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 21132 वर्ष 2021** में आवेदक शुभो शाह उर्फ सुभाजीत के विद्वान अधिवक्ता श्री इमरान उल्ला उनके सहायक के रूप में श्री दिलीप कुमार पाण्डेय एवं श्री अब्दुल माजिद तथा **दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 21208 वर्ष 2021** में आवेदक तौसीफ जमां की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार पाण्डेय एवं उनके सहायक के रूप में श्री अब्दुल माजिद का यह कथन है कि अभियुक्तगण निर्दोष है और उन्हें प्रश्नगत प्रकरण में झूंठा फसाया गया है।

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन पत्र संख्या 20529 वर्ष 2021 में आवेदक नीरज मण्डल उर्फ राकेश के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। आवेदक के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं दर्शायी गयी है। दौरान विवेचना सह–अभियुक्त शूबों शाह एवं तौसीफ जमां का नाम प्रकाश में आना बताया जाता है। दिनाँक 4–2–2021 को उक्त दोनों अभियुक्तों की अन्तरिम जमानत विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लालबाग मुर्शिदाबाद द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। यह भी तर्क रखा गया कि दौरान विवेचना दिनाँक 8–12–2020 से 21–2–2021 तक विवेचक द्वारा आवेदक के विरूद्ध कोई साक्ष्य एकत्र नहीं किया गया। दिनाँक 21–2–2021 को सह–अभियुक्त राजीव रंजन के गिरफतारी के पश्चात उसके स्वीकारोक्त बयान के आधार पर आवेदक एवं सह–अभियुक्त तपन मण्डल का नाम प्रकाश में आया है। सह–अभियुक्त राजीव रंजन का बयान विश्वसनीय नहीं है। आवेदक के कब्जे से कोई आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी नहीं दर्शायी गयी है। यह भी तर्क रखा गया कि आवेदक द्वारा न तो कोई कूटरचित

दस्तावेज तैयार किया गया है एवं न ही कोई कूटरचित दस्तावेज उसके द्वारा प्रयोग में लाया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक के विरूद्ध कोई ऐसी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आवेदक के विरूद्ध प्रथम द्रष्टया अपराध बनता है। आवेदक के विरूद्ध कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नहीं है। इसी प्रकार **दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन पत्र संख्या 19926 वर्ष 2021, 21132 वर्ष 2021 एवं 21208 वर्ष 2021** में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये एवं आवेदकगण को जमानत पर मुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

इसके विपरीत राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्तागण द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत अपराध आवेदकगण द्वारा कारित किया गया है एवं दौरान विवेचना अभियुक्त राजू रंजन पुत्र अशोक भगत, निवासी जनपद देवधर, झारखण्ड, नीरज कुमार मण्डल पुत्र तीरथ नाथ मण्डल जनपद देवधर, झारखण्ड, तपन कुमार मण्डल पुत्र सरकार मण्डल, जिला जामताडा, झारखण्ड का नाम प्रकाश में आया तत्पश्चात उनकी गिरफतारी की गयी। यह भी तर्क रखा किया गया कि प्रश्नगत मामले में उपरोक्त आवेदकों द्वारा अन्य आरोपियों के साथ मिली भगत करके वित्तीय, साइबर धोखाधडी का अपराध किया गया है और ग्राहक पहचान मोड्यूल (सिम) तथा बैंक खाते के लिए निर्मित एवं जाली पहचान पत्रों का उनके द्वारा उपयोग किया गया है। उपरोक्त अपराध के कारित होने में उनके द्वारा सक्रिय भागीदारी को स्थापित करने के लिए अभियोजन के पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। वादी मुकदमा के वित्तीय, साइबर धोखाधडी करके जो पैसा निकाला गया उसे पेटियम वालेट (PAYTMC 123456) से सम्बद्व वालेट नम्बर 8343884119 के माध्यम से निकाला गया था। यह भी तर्क रखा गया कि प्रश्नगत प्रकरणों में उपयोग किये गये आई0 पी0 ऐड्रेस का विवरण प्राप्त करने के बाद एक मोबाईल नम्बर 7076707670 का पता चला है जिसका उपयोग आवेदक सुभो शाह द्वारा किया जा रहा था और जब उपरोक्त फिलपकार्ट के विवरण की जाँच की गयी तो यह पता चला कि उक्त

वालेट नम्बर 8343884119 वालेट नम्बर के माध्यम से सात मोबाईल नम्बर 7679054205 के द्वारा आनलाईन खरीदे गये थे जो अब्दुल मोमीन पुत्र नजीब हुसैन निवासी मुर्शीदाबाद के नाम पर था। यह भी तर्क रखा गया कि जब अब्दुल मोमीन से उपरोक्त खरीददारी के सम्बंध में पूंछतांछ की गयी तो उसने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0 प्र0 सं0 में अभियुक्त तौसीफ जमां निवासी मुर्शीदाबाद का नाम लेते हुए बताया कि उपरोक्त मोबाईल इसी व्यक्ति ने लिए है। यह भी तर्क रखा गया कि जांच अधिकारी द्वारा जब सुभो शाह को गिरफतार किया गया तो उसके कब्जे से मोबाईल नम्बर 7076707670 बरामद हुआ जो कि प्रश्नगत अपराध में प्रयुक्त होने की कड़ी में शामिल है। उपरोक्त अभियुक्तों ने फर्जी कार्ड़ के आधार पर सिम निकलवाया और ब्राडबैण्ड कनेक्शन उक्त मोबाईल नम्बर 7076707670 पर लिया जो अभियुक्त सुभो शाह द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा था। यह भी तर्क रखा गया कि जब मोबाईल नम्बर 8343884119 का ग्राहक आवेदन पत्र निकाला गया तो पता चला कि यह किसी नईम सरकार के झूठे नाम व नकली पते के आधार पर प्राप्त किया गया था। यह भी तर्क रखा गया कि जांच के दौरान पता चला कि जो पैसा खाते से निकाला गया था वह योनो ऐप के माध्यम से किया गया था और जिस आई0 पी0 पते का उपयोग किया गया था वह मोबाईल नम्बर 7908793022 द्वारा चलाया जा रहा था जब कि उक्त संख्या के ग्राहक आवेदन पत्र का जाँच अधिकारी द्वारा अवलोकन किया गया तो यह पता चला कि शुभ लाल हंसदा नाम के एक व्यक्ति के नाम पर था जिसकी मृत्यु दिनांक 21–6–2016 को हो चुकी है। जब सी0 डी0 आर0 द्वारा उपरोक्त नम्बर का अवलोकन किया गया तो मैक्स बी पार्टी में एक मोबाईल नम्बर (अर्थात मोबाईल नम्बर 7004097335) प्राप्त हुआ और ग्राहक आवेदन पत्र प्राप्त किया गया और उसका अवलोकन किया गया जिसमें अशोक भगत पुत्र राजीव रंजन का नाम सामने आया। यह भी तर्क रखा गया कि जब राजीव रंजन से पूछतांछ की गयी तो उसने बताया कि वह एक ग्राहक सेवा प्रदाता केन्द्र चला रहा है और मोबाईल नम्बर 708793022 का उपयोग नीरज मण्डल उर्फ राकेश और तपन कुमार

मण्डल द्वारा किया जा रहा था। नीरज मण्डल और तपन कुमार मण्डल भाई है और मोबाईल नम्बर 7908793022 का उपयोग कर रहे थे, जिनके द्वारा योनो अप्लीकेशन चलाया जा रहा था और उक्त मोबाईल नम्बर एक मृत व्यक्ति के जाली दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया गया था। ऐसी दशा में आवेदकगण जमानत पर मुक्त होने योग्य नहीं है।

मामले की गम्भीरता के कारण भारत सरकार की ओर से श्री एस0 पी0 सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अपर महान्यायवादी भारत सरकार, रिजर्व बैंक की ओर से श्री विकास बुधवार एवं प्रदेश सरकार की ओर से श्री महेश चन्द्र चतुर्वेदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश तथा श्री शिव कुमार पाल, विद्वान शासकीय अधिवक्ता, श्री अमृतराज चौरासिया व श्री मिथिलेश कुमार, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्तागण व भारतीय दूर संचार की ओर से श्री रवि रंजन उपस्थित हुए और देश में बढ़ते साइबर ठगी के मामले को देखते हुए उन्होनें न्यायालय को अवगत कराया कि गरीबों का पैसा साइबर ठगों द्वारा बैंक खाते से निकालने का जो क्रम जारी है, उसे रोका जाना चाहिए। चूँकि ग्राहकों द्वारा पैसा बैंक में जमा किया जाता है और वे बैंक में पैसा जमा करके निश्चिन्त हो जाते हैं कि उनका पैसा बैंक में सुरक्षित रहेगा परन्तु जब आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पता चलता है कि उनके बैंक खाते में साइबर ठगों ने डकैती डाल दी है और बैंक भी इस सम्बंध में अपने को असहाय बताता है और साथ साथ ही यह कहता है कि आपकी गलती के कारण साइबर ठगों ने आपके बैंक खाते से पैसे निकाल लिए है, जिसके लिए बैंक नहीं बल्कि आप स्वयं ही जिम्मेदार है। तब वह गरीब व्यक्ति पुलिस में रिपोर्ट लिखवाता है किन्तु पुलिस भी इस सम्बंध में अपने को असहाय बताकर इससे पल्ला झाड़ लेती है और वह गरीब व्यक्ति जिसकी जीवन की कमाई लुट जाती है तब वह परेशान होकर अपने भाग्य को कोसते हुए अपने घर पर बैठ जाता है और उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है।

यह भी कहा गया कि गरीब व्यक्ति अपना पैसा बैंक में जमा करता है जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और देश आगे बढ़ता है किन्तु वहीं दूसरी ओर देश के सफेद कालर वाले लोग व काला–बजारी करने वाले, कालाधन को बैंक में न रखकर अपने घरों, रिश्तेदारों एवं तहखानों में रखकर देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर करके देश के विकास में रोड़ा उत्पन्न करते हैं। ऐसी दशा में बैंक मात्र यह कहकर नहीं बच सकता है कि साइबर ठगी का बैंक से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है और न ही पुलिस यह कहकर बच सकती है कि साइबर ठग करने वाले दूरदराज नक्सलवादी क्षेत्रों में रहते है इसलिए उनकी पहुँच वहाँ तक नहीं है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामले में आवेदकगण के विरूद्व गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

आवेदक/अभियुक्त शुभो शाह उर्फ सुभाजीत के विद्वान अधिवक्ता श्री इमरान उल्ला के द्वारा सुझाव दिया गया कि साईबर अपराध को रोकने के लिए जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए। चूँकि ग्राहक अपना पैसा बैंक में जमा करता है और निश्चिन्त हो जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर वह बैंक से पैसा निकाल लेगा किन्तु जब उसे यह पता चलता है कि आनलाईन फ्राड द्वारा उसके पैसे किसी और ने निकाल लिए है तब बैंक यह कहकर बच नहीं सकता कि उसका पैसा साइबर ठगी द्वारा किया गया है इसलिए वह जिम्मेदार नहीं है। बैंक ही ग्राहकों के पैसों की भरपाई के लिए जिम्मेदार होगा। यह बैंक का सिरदर्द है कि वह ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा के लिए कैसा नियम बनायें। भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास बुधवार जो अब माननीय न्यायमूर्ति है और उनके द्वारा सुझाव रखे गये कि रिजर्व बैंक द्वारा भी समय समय पर दिशा निर्देश बनाये जाते हैं एवं आनलाईन धोखाधड़ी को रोकने के लिए बैंकों को अगाह किया जाता है और न मानने पर कार्यवाही की बात की जाती है। परन्तु रिजर्व बैंक के अधिवक्ता यह बताने में असमर्थ रहे हैं कि बैकों द्वारा दिशा निर्देश का पालन न करने पर उनके द्वारा क्या

कार्यवाही की गयी है। भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह के अनुसार, ग्राहकों का पैसा धोखाधड़ी से निकलने पर बैंक ही जिम्मेदार होगा।

भारत सरकार की ओर से विद्वान अपर महान्यायवादी व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस0 पी0 सिंह की ओर से तर्क रखा गया कि धोखाधड़ी से बैंक ग्राहकों का पैसा निकालने का पूरा प्रकरण रिजर्व बैंक से सम्बन्धित है और वे ही इसके जिम्मेदार हैं। उनके द्वारा आगे यह भी सुझाव रखा गया कि आधार कार्ड के माध्यम से बैंक सभी ग्राहकों के खाते पर नजर रख सकती है किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड की अनिवर्यिता को समाप्त कर दिया है इस कारण बैंक ग्राहकों से आधार कार्ड की अनिवर्यिता पर दबाव नहीं दे सकती है। न्यायालय श्री एस0 पी0 सिं के इस तर्क से सहमत है कि वह आधार कार्ड की अनिवर्यिता के सम्बंध में पुर्नविचार याचिका, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करें जिससे आधार कार्ड को बैंकों से खाताधारकों के साथ जोड़ा जाए जिससे आनलाईन बैंक धोखाधड़ी को रोका जा सके।

भारतीय दूर संचार विभाग की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव रंजन द्वारा सुझाव दिया गया कि जब से मोबाईल सिम नि :शुल्क अथवा बहुत कम पैसों में और बिना किसी कठोर नियम के बेचे जाने लगे है तब से आनलाईन अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई है इसलिए मोबाईल सिम बेचने वाली कम्पनियों को सिम बेचते समय पहले तो सिक्योरिटी मनी जमा करानी चाहिए और दूसरा मूल पहचान पत्र में दिए गये पते का सत्यापन पते पर जाकर कराने के बाद ही सिम का वितरण करना चाहिए। ऐसे कुछ कड़े नियम बनाने होगें तभी साइबर अपराध पर लगाम लगाई जा सकती है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप पाण्डेय द्वारा यह भी तर्क रखा गया कि बैंक के0 वाई0 सी0 के माध्यम से खाताधारको के खाता को सख्ती से जोड़ना चाहिए और उसे यह पहले निश्चित करना चाहिए कि ग्राहको ने अपना जो पता व मोबाईल नम्बर दे रखा है वह उसी का है या फिर वह पता और मोबाईल नम्बर किसी और का है। इन बातों पर सन्तुष्ट होने पर ही उसे खाताधारकों का

खाता खोलना चाहिए किन्तु देखने में आता है कि खाता खोलने की होड़ में बैंक इस प्रकार की सावधानियों को ध्यान नहीं रखता है जिसका फायदा साईबर क्राइम करने वाले अपराधी भोले भाले ग्राहकों का पैसा हड़प कर जाते हैं।

राज्य सरकार की ओर से श्री महेश चन्द्र चतुर्वेदी, विद्वान अपर महाधिवक्ता, श्री शिव कुमार पाल, विद्वान शासकीय अधिवक्ता एवं श्री अमृतराज चौधरी, श्री मिथिलेश एवं श्री प्रशान्त कुमार विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किये और इस बढ़ते हुए साईबर अपराध जो कि आनलाईन पूरे देश में हो रही है, पर चिन्ता व्यक्त की और कहा कि आनलाईन अपराध देश के पूरे सिस्टम को खोखला किये जा रहा है और आज शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो इसका शिकार न हो। ऐसी स्थिति में भारत सरकार और राज्य सरकार को ऐसा सिस्टम इजाद करना चाहिए कि ऐसे अपराधों पर रोक लगे। उनके द्वारा भी यह सुझाव दिया गया कि ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। चूँकि पैसा बैंक में जमा होता है तो यह जिम्मेदारी बैंक की होती है कि वह ऐसा सिस्टम इजाद करें कि उसके बैंक में ग्राहकों का पैसा किसी भी हाल में साईबर क्राइम के हाथ में न जाए और वह इसे रोकने का हर सम्भव प्रयास करे बावजूद इसके बैंक असफल रहता है तो ग्राहकों के पैसों की वापसी के लिए बैंक ही जिम्मेदार है। उनके द्वारा यह भी सुझाव रखा गया कि बैंक ग्राहकों का खाता खोलते समय ग्राहकों का पता व मोबाईल नम्बर का सख्ती से सत्यापन नहीं कराता है जिसका लाभ साइबर अपराधी आसानी से उठाता है और हजारों सिम जिसे उसने सम्बन्धित बैंक से जोड़ रखे है उसे लेकर वह नक्सलवादी क्षेत्रो से संचालित करता है जहाँ पुलिस भी जाने से डरती है इसलिए सिम बेचने वाली कम्पनी को भी सिम बेचते समय ग्राहकों को तब तक सिम न दे जब तक उसे पूर्ण विश्वास न हो कि अमुक सिम लेने वाला व्यक्ति सही व्यक्ति है। बैंक को खाताधारकों का खाता खोलते समय उसका पूर्ण सत्यापन मोबाईल नम्बर एवं पता पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने पर ही अपने बैंक में खाता खोलना चाहिए। साथ ही उनका यह भी सुझाव है कि आनलाईन पैसा स्थानान्तरित के

समय सम्बन्धित बैंक अपने ग्राहकों से व्यक्तिगत फोन करके इसका सत्यापन करें तत्पश्चात पैसों का स्थानान्तरण करें और बैंक द्वारा यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो ऐसे सभी आनलाईन फ्राड से ग्राहकों का गया पैसों के लिए बैंक को ही जिम्मेदार ठहराया जाए।

उपरोक्त विद्वान अधिवक्तागण के तर्क एवं सुझाव सुनने के बाद न्यायालय का यह मत है कि बैंक खाताधारकों का पैसा सुरक्षित रहना चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि ग्राहक पैसा बैंक में जमा करता है कि आवश्यकता पड़ने पर वह उसे निकाल सकता है, वह इस लिए भी, ग्राहकों द्वारा बैंक में जमा पैसा एक नम्बर का होता है और जिससे देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। वहीं दूसरी ओर देश में ऐसे लोग भी है जो करोड़ो रूपये बैंक में जमा न करके घरो में तहखानो में छिपा कर रखते है उससे न तो बैंक को कोइ लाभ होता है वरन् वे देश की आर्थिक स्थिति को भी खोखला करते हैं। ऐसी स्थिति में बैंक का वह ग्राहक, देश के प्रति ज्यादा ईमानदार है और उसका पैसा बैंक को हर हाल में सुरक्षित रखना चाहिए और अगर किसी भी प्रकार से साईबर अपराधियों द्वारा उसके उसके बैंक खाते में डाका ड़ालकर पैसा निकाला जाता है तो इसके लिए बैंक को ही इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदकगण ने इस न्यायालय के एक न्यायमूर्ति के बैंक खाते से साइबर ठगी के माध्यम से पैसे निकाले हैं और आवेदकगण के विद्वान अधिवक्तागण ने यह स्वीकार किया है कि उक्त पैसा आवेदकगण ने वादिनी को वापस कर दिये हैं।

प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रस्तुत मामले के गुण–दोष पर बिना कोई टिप्पणी किये मेरे विचार से आवेदकगण **नीरज मण्डल उर्फ राकेश, तपन मण्डल, शूबो शाह उर्फ सुभाजीत एवं तौसीफ जमां** को जमानत पर मुक्त करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता है।

तदनुसार आवेदकगण **नीरज मण्डल उर्फ राकेश, तपन मण्डल, शूबो शाह उर्फ सुभाजीत एवं तौसीफ जमां** के उक्त जमानत आवेदन पत्र बलहीन है एवं निरस्त होने योग्य है।

तदनुसार आवेदकगण **नीरज मण्डल उर्फ राकेश, तपन मण्डल, शूबो शाह उर्फ सुभाजीत एवं तौसीफ जमां** के उपरोक्त जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाते हैं।

दि0— 12—1—2022

अ